संख्या 3775/14-2-2018-800(126)/2018

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 18 दिसम्बर, 2018

विषय- जनपद मिर्जापुर में माई ओन इको एनर्जी प्रा0लि0 द्वारा लुम्बिनी-दुद्धी राजमार्ग सं0-5 के किमी0 सं0 344 में चैनेज 343.881 पर मार्ग के किनारे बांयी तरफ ग्राम तिसही तहसील मडिहान के आराजी सं0 01 में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट बायोफयूल स्टेशन (बायो डीजल) में प्रवेश् एवं निकासी मार्ग हेतु 0.0750 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-1141/11-सी-एफ/यूपी/अदर्स/32530/2018, दिनांक 05-12-2018, का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विज्ञप्ति निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मिर्जापुर में माई ओन इको एनर्जी प्रा0लि0 द्वारा लुम्बिनी - दुद्धी राजमार्ग सं0-5 के किमी0 सं0 344 में चैनेज 343.881 पर मार्ग के किनारे बांयी तरफ ग्राम तिसही तहसील मडिहान के आराजी सं0 01 में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट बायोफयूल स्टेशन (बायो डीजल)में प्रवेश् एवं निकासी मार्ग हेतु 0.0750 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा प्रदत्त स्वीकृति तथा राज्य सरकार की शर्तो/प्रतिबन्धों एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों को सम्मिलित करते हुए एतद्द्वारा विज्ञप्ति (Notification)निर्गत की जाती हैं-

(1) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(2) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-रखाव किया जायेगा। यह वृक्षारोपण विधिवत स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जायेगा।

(3) अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की बढी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

(4) प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

(5) स्थापित पेट्रोल पम्प की चहारदिवारी से 1.5 मीटर की दूरी बनाये रखते हुए परिसर के चारों तरफ कम आच्छादन वाले वृक्षों का रोपण किया जाएगा जिसमें वृक्षों की अन्तर दूरी 1 से 1.5 मीटर रखी जाएगी।

(6) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क किनारे वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुचाये पेट्रोल पम्प के लोकेशन को दर्शाने वाले साइन बोर्ड/मार्किग समुचित स्थान पर लगाये जाएगें।

Scanned by CamScanner

(7) पेट्रोल पम्प सामान्यतः रेस्ट एरिया काम्प्लेक्स जिसमें सभी जनसुविधाए यथा पार्किंग शौचालय आदि उपलब्ध हो, का हिस्सा होना चाहिए। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऐसे भवनों के निर्माण की पूर्ण योजना तैयार की जाएगी ताकि सडक किनारे वृक्षारोपण को न्यूनतम क्षति पहुच सके।

(8) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(9) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/ वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/ स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

(10) प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, बैकवर्ड और फारवर्ड बियरिंग एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जायेगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा।

(11) प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(12) प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू-स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

(13) मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(14) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(15) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु अवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(16) वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(17) प्रयोक्ता अभिकरण को यह वचनबद्धता देनी होगी कि यदि एन0पी0वी0 की धनराशि में इस अवधि में वृद्धि होती है तो इसका भुगतान किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

(18) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया जायेगा।

(19 यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।

(20) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(21) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-3775(1)/14-2-2018तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हेतु है-

(1)- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,क्षेत्रीय कार्यालय,केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार,लखनऊ।
(2)- जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
(3) मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर।
(4)- प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग, उ0प्र0।
(5)- माई ओन इको एनर्जी प्रा0लि0, 307, 308, 3-फ्लोर, साईबर हाइट, गांधी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सामने, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।
(6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अनुसचिव

श्री अनमोल
वेबसाइट पर अपलोड करें।

APCCF(I.T)
03 JAN 2019

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–1228/11–सी–FP/UP/Other/32530/2018, दिनांक, लखनऊ, दिसम्बर 19 ,2018

प्रतिलिपिः–

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक, आई0टी0, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत उपरोक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।

2– मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत विज्ञप्ति में निहित समस्त शर्तो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए, आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3– माई ओन इको एनर्जी प्रा0लि0, 307, 308, 3–फ्लोर, साइबर हाइट, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सामने, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Scanned by CamScanner